



Neutral Citation No. - 2026:AHC:40476

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6143/2026

गंगेश यादव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 17 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सेराज अहमद, शिबली नसीम

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी. के. त्रिपाठी, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री राघवेंद्र त्रिपाठी (जो श्री रोहित सिंह की ओर से उपस्थित हैं), और निजी प्रतिवादी संख्या 9 के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादियों को इस आदेश से कोई आपत्ति होती है, तो उन्हें इस आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 - अपर आयुक्त (न्यायिक), प्रथम, वाराणसी मंडल, वाराणसी को यह निर्देश दिया जाए कि वे अपील संख्या 2970/2024 का शीघ्रता से निस्तारण करें।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय व्यतीत हो चुका है, तथापि इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि संबंधित न्यायालय उपर्युक्त अपील का निस्तारण पूर्णतः विधि के अनुरूप और बिना किसी अनावश्यक स्थगन के (जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो) शीघ्रता से करे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

23 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”